कार्यालय सम्पत्ति विभाग, नगर निगम, अलीगढ़।

पत्रांक : 2328/सं0वि0/न0नि0अली0/2021–22 दिनांक : 16/07/2022

सेवा में,

सहायक नगर नियोजक,
अलीगढ़ विकास प्राधिकरण,
अलीगढ़।

विषय : सेविन हैविन कंस्ट्रक्शन प्रा0लि0 पता– कस्बा कोल, पर0 व तह0 कोल, अलीगढ़ द्वारा प्लॉट न0– 1, 2, 3, 4, 5 व 6 टाईगर लॉक प्रसार, प्रा0लि0, कस्बा कोल, पर0 व तह0 कोल, अलीगढ़ पर कुल प्लाट एरिया 7985.58 व0मी0 पर ग्रुप हाउसिंग निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबन्ध में।

सन्दर्भ :– पत्रांक AGDA/BP/21-22/0338/NOC दिनांक 08.11.2021
FILE NO. - AGDA/BP/21-22/0338

महोदय,

उपरोक्त विषयक मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में नगर निगम, अलीगढ़ से अनापत्ति चाही गयी है, जिसके सम्बन्ध में लेखपाल एवं सम्पत्ति विभाग की टीम से जाँच करायी गयी, जिसके पश्चात सन्दर्भित निर्माण स्थल का कुल प्लॉट एरिया 7,726.23 व0मी0 अंकित करते हुए अनापत्ति पत्र सं0–2038/सं0वि0/न0नि0अली0/2021–22 दिनांक 05.04.2022 निर्गत किया गया। सन्दर्भित अनापत्ति पत्र में कुल प्लॉट एरिया 7,985.58 व0मी0 के स्थान पर त्रुटिवश कुल प्लॉट एरिया 7,726.23 व0मी0 कार्यालय आख्या के अनुसार अंकित हो गया था, जिसके स्थान पर कुल प्लॉट एरिया में संशोधन कर पुनः 7,985.58 व0मी0 कुल प्लॉट एरिया की अनापत्ति हेतु संशोधित अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रदान किया जा रहा है। उक्त जाँच आख्या दिनांक 13.12.2021 के अनुसार नगर निगम, अलीगढ़ द्वारा निम्न शर्तों के अधीन अनापत्ति प्रदान की जा रही है। प्राधिकरण मानचित्र की स्वीकृति प्रदान करने के पूर्व इन्हें सुनिश्चित करा लें।

1. प्रस्तावित भवन का सिल लेबिल/कुर्सी मुख्य सड़क से न्यूनतम 0.45 मी0 ऊँची होनी चाहिए।
2. सन्दर्भित अनापत्ति 7985.58 व0मी0 बैनामी भूमि से सम्बन्धित है।
3. इस भूखण्ड पर भवन निर्माण उपरान्त इस क्षेत्र में पूर्व से बनी नाली सीवर लाइन, पाइप लाइन आदि पर अतिरिक्त भार बढ़ने के कारण यदि आवश्यकता के अनुरूप इनके साइज में संशोधन करना पड़ता है तो अलीगढ़ विकास प्राधिकरण अपने स्तर से यथा आवश्यक परिवर्तन कराये क्योंकि विकास शुल्क प्राधिकरण द्वारा ही लिया जा रहा है।
4. यह अनापत्ति सड़क/रोड/मार्ग पर प्रभावी नहीं होगी।
5. आवेदक द्वारा उक्त भूमि बैनामा दिनांक 14.07.2008, 24.07.2008 व 26.07.2008 के माध्यम से सेविन हैविन कंस्ट्रक्शन प्रा0लि0 पता– कस्बा कोल, पर0 व तह0 कोल, अलीगढ़ ने क्रय की है।
6. राजस्व अभिलेखों के अनुसार प्लॉट न0– 1, 2, 3, 4, 5 व 6 टाइगर लॉक प्रसार, प्रा0लि0, कस्बा कोल, पर0 व तह0 कोल, अलीगढ़ में खेत न0– 1355, 1356, 1357, 1358, 1358, 1360 व 1361 में कस्बा कोल–द्वितीय नोन जेड ए खेवट सं0–372 जिसके मालिकान बाबू मुन्नालाल आदि सीर जमीदारान के नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित है। उक्त गाटा भूमि में नगर निगम की भूमि सम्मिलित नहीं है।
7. उपरोक्त प्लाट की चौहद्दी में बैनामा दिनांक 14.07.2008 के अनुसार पूरब–सिटी एन्कलेव, पश्चिम– प्राईवेट प्लॉट नम्बर–3, एन्कर प्रेसिंग्स लि0 वर्तमान टाईगर हार्डवेयर एण्ड टूल्स लि0, उत्तर– जायदाद आनन्द स्वरूप केला व श्रीमती राजकुमारी आदि, दक्षिण– प्राईवेट रास्ता 25 फीट चौड़ा। बैनामा दिनांक 24.07.2008 के अनुसार पूरब– प्राईवेट प्लॉट सं0–4, सैविन हैविन कंस्ट्रक्शंस प्रा0लि0। पश्चिम– प्राईवेट प्लॉट न0–1 विक्रेता। उत्तर– जायदाद टीकाराम मन्दिर। दक्षिण– प्राईवेट रास्ता 25 फीट चौड़ा। तथा बैनामा दिनांक 26.07.2008 के माध्यम से पूरब– प्राईवेट प्लॉट सं0–2, सैविन हैविन कंस्ट्रक्शन प्रा0लि0 पश्चिम– मुख्य सड़क स्टेशन रोड़। उत्तर– जायदाद टीकाराम मन्दिर। दक्षिण– प्राईवेट रास्ता 25 फीट चौड़ा।
8. संलग्न मानचित्र के अनुसार कुल कवर्ड एरिया 21,139.82 व0मी0 पर रू0 20/– प्रति व0मी0 की दर से कुल धनराशि रू0 4,22,796.40 मलवा चार्जेज नगर निगम कोष में जमा कराये जाने के उपरान्त अनापत्ति दिये जाने हेतु आख्या प्रेषित है।

नोट– यह अनापत्ति प्रमाण पत्र उसी आवासीय कॉलोनी/क्षेत्र के लिए मान्य है, जिसका ले–आउट प्लान, अलीगढ़ विकास प्राधिकरण में प्रस्तुत किया गया है, यदि प्रश्नगत प्रकरण में किसी भी न्यायालय का कोई विपरीत निर्णय होता है, तो यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निष्प्रभावी/अमान्य/निरस्त माना जाएगा।

संलग्नक : नक्शा की मूलप्रति।

16/7/2022

अपर नगर आयुक्त,
नगर निगम, अलीगढ़।

N-(P-783)